

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 08 / 12 / 2022

अति आवश्यक- सूचना

MPTASS Portal
Scholarship & Awas

SC & ST Session 2022-23 New Application & Renewal

आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश शासन भोपाल के पत्र क्रमांक/पी.एम. एस/2022-23/24434 भोपाल दिनांक 06/12/22 के संदर्भ में महाविद्यालय में सत्र 2022-23 में प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले SC/ST New Student एवं Renewal Application का आवेदन करने वाले समस्त विद्यार्थियों सूचित किया जाता है कि प्रथम वर्ष के छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना के आवेदन MPTASS Portal के माध्यम से भरने की अंतिम दिनांक 31/12/2022 निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति/आवास सहायता के आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम हितग्राही प्रोफाइल एम.पी.ऑनलाईन पर जाकर बनावे इस हेतु निम्नलिखित प्रमुख दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। हितग्राही प्रोफाइल बनाते समय अपनी समस्त जानकारी सही भरें।

1. आधार कार्ड 2. जाति प्रमाण पत्र 3. समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी

उसके उपरांत छात्रवृत्ति/आवास सहायता के आवेदन कर निम्नलिखित दस्तावेज कम से संलग्न तथा स्वप्रमाणित कर उसके उपरांत अपने कक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर करवा कर कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित दिनांक के पश्चात् यदि किसी विद्यार्थी का छात्रवृत्ति/आवास सहायता योजना को आवेदन नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की रहेगी।

1. छात्रवृत्ति/आवास सहायता योजना का आवेदन पत्र
2. हितग्राही प्रोफाइल की छाया प्रति।
3. जाति प्रमाण पत्र।
4. आय का प्रमाण पत्र
5. निवासी का प्रमाण पत्र।
6. अंक सूची 10 वीं, 12 वीं, स्नातक अंतिम वर्ष की अंक सूची
7. बैंक पास बुक की फोटोकॉपी
8. NPCI Server पर बैंक खाते के एक्टिव होने का प्रमाण/स्क्रीनशॉट की प्रति।
9. समग्र आई डी
10. प्रवेश रसीद
11. आधार कार्ड
12. समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी
13. आवास सहायता हेतु ऐग्रीमेंट एवं भाड़ा पर्ची
14. आवास सहायता थाने का वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र

नोट :-1. एम.पी.टॉस पोर्टल से छात्रवृत्ति/आवास सहायता योजना का लाभ लेने हेतु आपको अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराकर NPCI Server पर एक्टिव कराना अनिवार्य है। NPCI Server पर एक्टिव नहीं होने पर योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

2. एलएल.एम प्रथम वर्ष के विद्यार्थी एलएल.बी/बी.ए.एल.एल.बी. अंतिम वर्ष की अंक सूची संलग्न करें।

3. विगत सत्रों में प्रवेश लेने वाले ST/SC के जिन विद्यार्थियों ने अपने परीक्षा परिणाम अभी तक अपडेट नहीं कराये हैं वे अंकसूची लाकर परीक्षा परिणाम अपडेट करवा लें। परीक्षा परिणाम अपडेट नहीं होने पर आप आगे के वर्षों की छात्रवृत्ति/आवास योजना के आवेदन नहीं कर सकेंगे। अतः अंतिम दिनांक के पूर्व अपने रिजल्ट अपडेट करवा लें।

4. कोई भी पात्र विद्यार्थी केवल एक ही प्रकार छात्रवृत्ति/योजना का लाभ ले सकता है। अतः विद्यार्थी सावधानी पूर्वक योजना को चयनित कर उसका लाभ लें।

छात्रवृत्ति/आवास सहायता योजना
नोडल ऑफिसर

Inch. प्रभारी प्राचार्य 8/12
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर